पशुपालन

वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

किसान की उन्नति से ही हमारे पूरे प्रदेश की प्रगति संभव है। हमने किसान भाइयों के लिए राज्य में कई महत्त्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। आप सभी उनका फायदा उठायें व परम्परागत खेती के साथ ही खेती के नये तरीकों व तकनीकों को अपनाएं।

हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति व नीली क्रांति अब तक हो चुकी हैं, अब हमारा सपना राज्य में सदाबहार क्रांति (Evergreen Revolution) लाने का है। इसके लिए हमारी सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है।

प्रभुलाल सैनी
कृषि मंत्री, राजस्थान

राज्य के विकास में हमारे मेहनतकश किसान व पशुपालक एक अहम कड़ी हैं। राजस्थान सरकार किसानों व पशुपालकों के प्रति समर्पित है। कृषि के साथ–साथ हमने पशुपालन के क्षेत्र में भी नवाचारों को अपनाया है। हम चाहते हैं कि हमारे पशुपालक भाई पशुपालन की नई तकनीकों को अपनाएं ताकि उनकी आय बढ़े। इस प्रकाशन में हम आपको पशुपालन के इन्हीं तरीकों व तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। इन्हें आप सभी अपनाएं और आगे बढ़ें।

विभागीय योजनाएं

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनसंख्या की आजीविका कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। राजस्थान ने अपने उन्नत पशुधन से एक अलग पहचान कायम की है। पशुधन के संरक्षण और पशुपालकों के हित के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं जिनसे राज्य की पशु सम्पदा लाभान्वित हुई है, और पशुपालकों की तस्वीर बदलने में कामयाबी मिली है। हमारे पशुपालक मजबूत हों, सुदृढ़ हों और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो इसके लिये हमने हमेशा पशुपालकों के हितों पर जोर दिया है। आज राज्य का पशुपालक पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सम्पन्न और प्रसन्न है। सरकार की कल्याणकारी और विकास नीतियों ने ही इस परिदृश्य को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रदेश में पशुधन

भारत सरकार के पशुपालन सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी किये गये 19वीं पशुगणना के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2007 में की गई 18वीं पशुगणना में राजस्थान का स्थान तीसरा था जब यहाँ देश का 10.75 प्रतिशत पशुधन उपलब्ध था परन्तु अब यह बढ़ कर 11.27 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश के पशुधन की संख्या में लगभग दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। देश भर में ऊँटों और बकरियों की संख्या के लिहाज से राजस्थान का स्थान देश में अग्रणी है। वर्ष 2012 पशु गणना के अनुसार देश भर में राजस्थान का स्थान भैंस वंश में दूसरा, भेड़ वंश में तीसरा और अश्व (घोड़े) वंश में चौथा आंका गया है।

भामाशाह पशु बीमा योजना

प्रदेश के पशुपालकों और पशुधन की स्थिति को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट में भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू किये जाने की घोषणा की गई थी। योजना के तहत दुधारू, मालवाहक और अन्य चयनित पशुओं का बीमा किया जा सकेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को बीमा क्लेम राशि उपलब्ध करवाना है जिससे उनके परिवार को क्षतिपूर्ति मिल सके। योजना के तहत दुधारू गो पशु की अधिकतम कीमत रु.40000 एवं भैंस वंशीय पशु की अधिकतम कीमत रु.50000 पर प्रतिवर्ष 2.79 प्रतिशत की दर से प्रीमियम देय होगा। इसी प्रकार भेड़ व बकरी की अधिकतम कीमत रु.5000 पर प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत की दर से प्रीमियम देय होगा तथा मालवाहक पशु की अधिकतम कीमत रु.50000 पर प्रतिवर्ष 3.5 प्रतिशत की दर से प्रीमियम देय होगा। भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बी.पी.एल. श्रेणी के पशुपालकों को प्रीमियम राशि का 70 प्रतिशत तथा अन्य पशुपालकों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा।

बकरी पालकों को प्रजनन योग्य बकरों का वितरण

राज्य में उपलब्ध कुल पशुधन सम्पदा का लगभग 38 प्रतिशत योगदान बकरी सम्पदा से है। बकरी सम्पदा की दृष्टि से राज्य देश में पहले स्थान पर है। बकरी विकास के लिए अजमेर जिले के रामसर गांव में बकरी फार्म स्थापित है, जहां पर बकरी पालकों को

निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ–साथ प्रजनन योग्य सिरोही नस्ल के बकरों का वितरण किया जाता है। बकरियों में प्रजनन हेतु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को सिरोही/जमुनापारी नस्ल का बकरा रु.1200 प्रति बकरा तथा अन्य बकरी पालकों को रु.1600 प्रति बकरा की दर से उपलब्ध करवाये जाते हैं। जमुनापारी नस्ल की बकरियों के विकास हेतु उन्नत नस्ल के बकरों का वितरण वत्स पालन केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के बीजू बकरे गृह क्षेत्र (इटावा, उत्तरप्रदेश एवं सी.आर.आर.जी. मखदूम) से क्रय करके बकरी पालकों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

पशुधन आरोग्य निःशुल्क दवा योजना

राज्य की बहुमूल्य पशुधन सम्पदा को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान किये जाने के लिए पशुधन आरोग्य निःशुल्क दवा योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत राज्य की सभी पशु चिकित्सा संस्थाओं एवं विभिन्न शिविरों के माध्यम से पशुओं के उपचार हेतु निःशुल्क औषधियां उपलब्ध करवाई जा रही है। योजनान्तर्गत पंजीकरण स्वरूप राशि दो रुपये प्रति कैटल हैड की दर से देय है। पशुधन की चिकित्सा के लिए सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की आवश्यक जैनरिक दवाईयां तथा सर्जिकल कन्ज्यूमेबल निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। धन की कमी के कारण पशु चिकित्सा सुविधाओं से वंचित पशुपालकों के पशुओं का अब समय पर उपचार होने से प्रदेश में पशु रोग प्रकोप में कमी आई है, साथ ही पशु चिकित्सा संस्थाओं में आने वाले रोगी पशुओं की संख्या में भी 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के पशुपालकों को विभागीय सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिये राज्य के समस्त ज़िला मुख्यालयों पर पशुधन आरोग्य चल चिकित्सा इकाईयों की संख्या भी एक से बढ़ाकर तीन कर दी गई है।

मुर्रा नस्ल के भैंस पाडों का वितरण

भैंस वंश के विकास हेतु वृषभ पालन केन्द्र कुम्हेर (भरतपुर) तथा नागौर में मुर्रा नस्ल के उन्नत सांडों का संधारण किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत मुर्रा नस्ल के 10 से 15 माह की आयु के उन्नत पाडों का क्रय कर केन्द्र पर पालन पोषण किया जा रहा है। इसके अलावा नागौर ज़िले के बांकलिया में भैंस फार्म स्थापित किया गया है। मुर्रा पाडों के प्रजनन योग्य होने पर ग्राम पंचायतों, दुग्ध समितियों, प्रगतिशील पशुपालकों को राशि रु.3000 प्रति वयस्क पाडे की दर से उपलब्ध करवाये जाते हैं, जबकि अन्य विभागों की योजनाओं जैसे जलग्रहण, ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा बंजर भूमि विकास आदि के अन्तर्गत वयस्क पाडे की दर रु.6000 प्रति सांड रखी गयी है।

राज्यव्यापी खुरपका एवं मुँहपका टीकाकरण अभियान

खुरपका, मुँहपका रोग के कारण दुधारू पशुओं में दूध की एकाएक कमी होती है, जिससे सीधा–सीधा नुकसान पशुपालक को होता है। इसके अलावा बछड़े बछड़ियों में इस रोग के कारण मृत्यु दर अधिक है। इस रोग के कारण देश में प्रतिवर्ष 20 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक हानि का अनुमान है।

प्रदेश के गो एवं भैंस वंशीय पशुओं को एफ.एम.डी. (खुरपका एवं मुँहपका रोग) से मुक्त किये जाने के लिए केन्द्र सरकार के सहयोग से सम्पूर्ण प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 195 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया है।

खुरपका, मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम से लाभ

- पशुधन को रोग के प्रति स्वास्थ्य सुरक्षा
- रोग से होने वाले नुकसान पर नियंत्रण
- रोग नियंत्रण से पशुधन उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि
- पशुपालक को आर्थिक रूप से लाभ
- रोग मुक्त क्षेत्र का वातावरण

डेयरी उद्यमिता विकास योजना

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से राज्य के डेयरी उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु डेयरी उद्यमिता विकास योजना नामक महत्वपूर्ण एवं लाभकारी योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत डेयरी उद्योगों की स्थापना के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक अथवा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के तहत अधिकतम 10 दुधारू पशुओं की लघु डेयरी इकाई की स्थापना के लिए परियोजना लागत का अधिकतम रु.6 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से अनुदान भी दिया जा रहा है। सामान्य श्रेणी के पशुपालकों को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जन जाति के पशुपालकों को 33.33 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

संकर भेड़ मेढ़ों का वितरण

वृहद् स्तरीय भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर (सीकर) मे भेड़ों की नस्ल में सुधार एवं बेहतर किस्म की ऊन प्राप्त करने के लिए विदेशी नस्ल के मेढ़ों से संकर प्रजनन कार्य किया जा रहा है। भेड़ पालकों को नाली, चोकला, मारवाड़ी नस्ल के मेढ़ों का वितरण किया जाता है। भेड़ प्रजनन फार्म द्वारा रु.50 प्रति किलो जीवित शारीरिक वजन की दर से इन मेढ़ों का वितरण किया जाता है ।

देश में शूकर इकाई वितरण कार्यक्रम

अलवर एवं भरतपुर ज़िलों के लघु एवं सीमान्त कृषकों, खेतीहर मजदूर तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु विशिष्ट पशुपालन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1976 से शूकर प्रजनन केन्द्र अलवर में स्थापित है। शूकर प्रजनन केन्द्र अलवर पर व्हाइट यार्कशायर नस्ल के शूकरों का संधारण किया जा रहा है। उपलब्धता अनुसार लाभान्वित परिवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लगभग 2 माह के आयु वर्ग के एक–एक नर और मादा शूकर की इकाई उपलब्ध करायी जा रही है। 2 माह के एक नर का मूल्य रु.2000 तथा मादा शूकर का मूल्य रु.1000 प्रति पशु हैं। शूकर इस केन्द्र द्वारा शूकर पालन के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

राजकीय कुक्कुट पालक प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर

इस संस्थान में कुक्कुट पालन व्यवसाय प्रारम्भ करने के लिये सभी

वर्गों के इच्छुक व्यक्तियों को स्वरोजगार के प्रयोजनार्थ व्यावहारिक कुक्कुट पालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्थान में अजमेर ज़िले के अतिरिक्त राज्य के अन्य ज़िलों से व सीमावर्ती राज्यों से भी इच्छुक व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर पायेंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	कुल सत्र प्रति वर्ष
व्यावसायिक कुक्कुट पालक प्रशिक्षण	दो सप्ताह	12

पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर

प्रदेश में पशुपालकों में नई चेतना, आत्मविश्वास और नई तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से जोधपुर में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में नवीनतम तकनीक की जानकारी से प्रगतिशील पशुपालकों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

ऊष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना

ऊँटों की लगातार घटती संख्या को रोकने तथा ऊँट प्रजनन को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से ऊष्ट्र प्रजनन प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत ऊंटनी के ब्याने पर उत्पन्न नर/मादा बच्चे (टोडियां) की आयु अनुरूप कुल रु.10000 राशि की आर्थिक सहायता ऊँटपालकों को दी जायेगी। एक माह की आयु पर रु.3000 नौ माह की आयु पर रु.3000 तथा 18 माह की आयु पर रु.4000 की आर्थिक सहायता ऊँटपालकों को दी जायेगी। योजनान्तर्गत ऊंट पालकों को नज़दीकी पशु चिकित्सा संस्था में आवश्यक रूप से पंजीकरण कराना होगा।

बकरी विकास योजना

बकरियों में अधिक उत्पादन क्षमता विकास हेतु नस्ल सुधार के लिये राज्य के अजमेर, अलवर, धौलपुर, उदयपुर, चूरू, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बांसवाड़ा, नागौर, भीलवाडा, राजसमन्द, भरतपुर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, करौली, बून्दी, चित्तौड़गढ़, पाली ज़िलों में सिरोही/जमुनापारी/मारवाड़ी/जखराना नस्ल के बकरे उपलब्ध करवाने के लिये ज़िले की दो–दो पचांयत समितियां चयन की जाती हैं तथा वहां के चयनित बकरी पालकों को जिनके पास कम से कम 20 बकरियां हों इस योजना के लिए पात्र होंगे। अनुसुचित जाति/जनजाति एवं बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता से चयन किया जाता है। चयनित बकरी पालकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु रु.200 प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया

जाता है। इसके बाद बकरा क्रय हेतु प्रति बकरा क्रय मूल्य पर 75 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रु.5000 दिया जाता है।

पोल्ट्री एवं बटेर फार्मिंग विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के 23 ज़िलों में पोल्ट्री एवं बटेर फार्मिंग विकास योजना प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत आगामी तीन वर्षों में 34950 परिवारों को कुक्कुट एवं 525 परिवारों को बटेर फार्मिंग के जरिए लाभान्वित किया जायेगा। क्लस्टर स्तर पर प्रगतिशील कुक्कुट पालकों के यहां 1000 चूजों की मदर यूनिट प्रारम्भ की जायेगी। मदर यूनिट की स्थापना हेतु कुक्कुट आवास निर्माण हेतु कुल अधिकतम लागत रु.150000 पर 40 प्रतिशत अर्थात् रु.60000 का अनुदान दिया जायेगा। पुराने कुक्कुट आवास में मदर यूनिट प्रारम्भ करने हेतु मरम्मत, रंगाई, पुताई आदि के

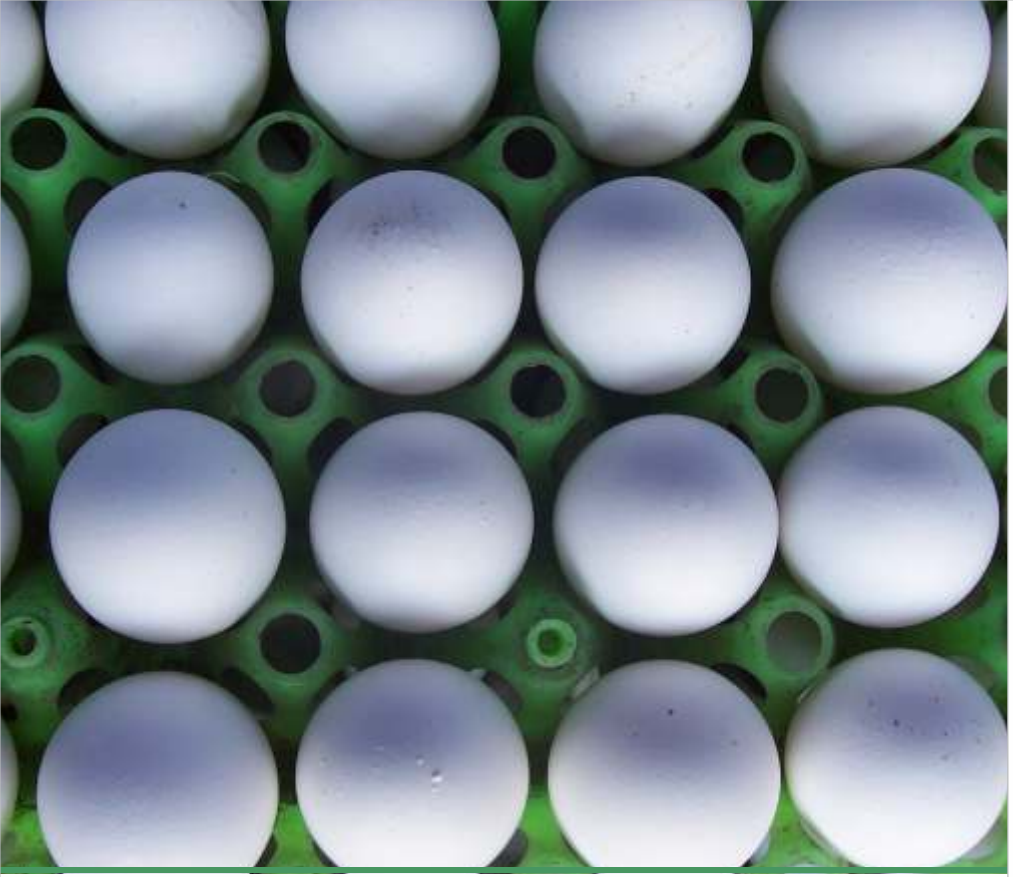

लिए रु.30000 का अनुदान देय है। गैर संगठित क्षेत्रों में ग्रामीण पोल्ट्री फार्मिंग की जा रही है बी.पी.एल. परिवारों का चयन ऐसे स्थान से किया जायेगा जहां असंगठित क्षेत्र तथा वहां किसी प्रकार का व्यवसायिक/ औद्योगिक क्षेत्र नहीं हो मुख्यतयाः बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करने वालों का क्षेत्र हो। एक मदर यूनिट से सीमान्त, भूमिहीन, बी.पी.एल., महिला के 50 व्यक्तियों को चार सप्ताह के बैकयार्ड पोल्ट्री बर्डस अनुदानित दर रु.25 प्रति चूजा की दर पर 20–20 बैकयार्ड यूनिट का वितरण किया जायेगा। एक लाभार्थी को चार सप्ताह के चूजे उपलब्ध करवाये जाते है तथा कुक्कुट के आवास हेतु रु.1500 का अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है।

पशुपालक सम्मान समारोह योजना

प्रदेश के प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पशुपालक सम्मान समारोह योजना प्रारम्भ की गई है। राजस्थान मूल के पशुपालक जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार कर पशुधन उत्पादन के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित किये हों तथा प्रदेश के अन्य पशुपालकों के लिये प्रेरणा का स्त्रोत बन सकें। ऐसे पशुपालकों का चयन कर विभिन्न स्तर जैसे पंचायत समिति, ज़िला एवं राज्य स्तर पर पर पुरस्कृत किया जाता है। राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह में पंचायत समिति स्तर पर चयनित पशुपालक को रु.10000 ज़िला स्तर पर रु.25000 तथा राज्य स्तर पर रु.50000 की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन कार्ड

- प्रदेश में पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 5 लाख 18 हजार पशुपालकों को पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन कार्ड का वितरण।
- पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन कार्ड का पंजीयन शुल्क मात्र रु.5 प्रति कार्ड।
- कार्ड धारक पशुपालकों को खनिज लवण मिश्रण का निःशुल्क वितरण।

पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन कार्ड में निम्नानुसार जानकारियों का समावेश

- पशुपालक द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं की किस्म एवं संख्या का विवरण।
- संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीकाकरण का विवरण।
- खनिज लवण मिश्रण का वितरण।
- बाह्य एवं अन्तः परजीवी रोगों के लिए कृमिनाशक औषधि का विवरण।
- रोगी पशुओं के उपचार, परामर्श एवं सेवा का विवरण।
- कृत्रिम गर्भाधान से सम्बन्धित विवरण।
- वत्स उत्पादन का विवरण।
- रोग निदान के लिए विभिन्न जाँचों का विवरण।
- पशुधन बीमा सम्बन्धी विवरण।

ग्राम

9-11 नवम्बर 2016

जयपुर

gramrajasthan.**in**

पशुपालन निदेशालय,राजस्थान

पशुधन भवन, टोंक रोड, गांधी नगर मोड़, जयपुर 302015

T: +91 141 2743331 | W: animalhusbandry.rajasthan.gov.in

E: ddextension@yahoo.com

अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेन्टर **1800 180 1551**

अपने नजदीकी उपकेन्द्र, पशु चिकित्सालय अथवा

अपने जिलें के संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग के कार्यालय में सम्पर्क करें

ग्लोबल
राजस्थान
एग्रीटेक मीट
9-11 नवम्बर 2016
जयपुर